राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जयपुर

क्रमांकः–रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2025 / 664 दिनांकः– 16.9.25

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 एंव उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की नवसृजित 05 एवं 159 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र आवेदक / संस्था से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

विधानसभा क्षेत्र	तहसील	क्रम संख्या	नगर निगम क्षेत्र	नवीन उचित मूल्य दुकान सृजित किये जाने हेतु चयनित स्थान	सामान्य / आरक्षित
विधाधर नगर	जयपुर	1	जयपुर ग्रेटर	वार्ड संख्या 09 नाड़ी का फाटक, शिव मन्दिर के पास, मुरलीपुरा, जयपुर	सामान्य
	जयपुर	2	जयपुर ग्रेटर	वार्ड संख्या 05 जे.एस कॉलोनी, जेडीए मोड़ रोड़ नम्बर 17, सीकर रोड़, जयपुर।	सामान्य
	जयपुर	3	जयपुर ग्रेटर	वार्ड नम्बर 36 रमन वाटिका, श्री राम नगर कॉलोनी सैनी विवाह स्थल के पास, खिरनी फाटक रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।	सामान्य
	जयपुर	4	जयपुर ग्रेटर	वार्ड संख्या 13 ग्रीन कुंज, अन्नपुर्णा टेन्ट हाउस, जगदम्बा स्कूल के पास, नांगल जैसा बोहरा झोटवाड़ा जयपुर।	सामान्य
	जयपुर	5	जयपुर ग्रेटर	वार्ड संख्या 18 एवं 20 पूर्वी हिस्सा सिन्धु नगर, प्रताप नगर चौराहे के पास, मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर।	महिला आरक्षित

रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

विधानसभा क्षेत्र	तहसील	क्रम संख्या	नगर निगम क्षैत्र	दुकान संख्या	वार्ड संख्या	डिवीजन	पोस कोड	सामान्य / आरक्षित
आदर्श नगर	जयपुर	1	हैरिटेज	43	78	2	3378	महिला आरक्षित
	जयपुर	2	हैरिटेज	65	80	2	3609	सामान्य
	जयपुर	3	हैरिटेज	70	80	2	27280	सामान्य
	जयपुर	4	हैरिटेज	94 ए	85	3	8725	सामान्य
	जयपुर	5	हैरिटेज	98	85	3	8765	सामान्य
	जयपुर	6	हैरिटेज	100	85	3	8783	सामान्य
	जयपुर	7	हैरिटेज	461	91	10	6653	महिला आरक्षित
	जयपुर	8	हैरिटेज	476	88	10	6877	सामान्य
	जयपुर	9	हैरिटेज	477	88	10	6901	सामान्य
	जयपुर	10	हैरिटेज	479	84	10	6929	सामान्य
	जयपुर	11	हैरिटेज	480	84	10	6952	सामान्य
	जयपुर	12	हैरिटेज	481	84	10	6972	महिला आरक्षित
	जयपुर	13	हैरिटेज	487 ए	100	10	27256	सामान्य
	जयपुर	14	हैरिटेज	493	97	10	9336	सामान्य
	जयपुर	15	हैरिटेज	494	97	10	9338	सामान्य
	जयपुर	16	हैरिटेज	494 ए	97	10	9339	महिला आरक्षित
	जयपुर	17	हैरिटेज	498 ए	93	10	9347	सामान्य
	जयपुर	18	हैरिटेज	504	90	10	9358	सामान्य
	जयपुर	19	हैरिटेज	507	90	10	9357	महिला आरक्षित
आमेर	जयपुर	20	हैरिटेज	704	1	1	23811	महिला आरक्षित

आमेर	जयपुर	21	हैरिटेज	709	2	1	4812	सामान्य
बगरू	सांगानेर	22	ग्रेटर	557 ए	106	13	7147	महिला आरक्षित
	सांगानेर	23	ग्रेटर	557 बी	107, 108	13	7172	सामान्य
	सांगानेर	24	ग्रेटर	558	106	13	7211	सामान्य
	सांगानेर	25	ग्रेटर	677	112	13	8122	महिला आरक्षित
	सांगानेर	26	ग्रेटर	677 ए	108	13	8123	सामान्य
	सांगानेर	27	ग्रेटर	678 ए	119	13	8126	सामान्य
	सांगानेर	28	ग्रेटर	679	120,122	13	8128	सामान्य
	सांगानेर	29	ग्रेटर	488 ए	121	10	8242	सामान्य
सिविल लाइन्स	जयपुर	30	हैरिटेज	317	34	7	6684	सामान्य
	जयपुर	31	हैरिटेज	325	37	7	6808	सामान्य
	जयपुर	32	हैरिटेज	327	37	7	6824	सामान्य
	जयपुर	33	हैरिटेज	329	37	7	6857	सामान्य
	जयपुर	34	हैरिटेज	330	36	7	6870	सामान्य
	जयपुर	35	हैरिटेज	332	36	7	6893	सामान्य
	जयपुर	36	हैरिटेज	436	41	7	6962	सामान्य
	जयपुर	37	हैरिटेज	309	32	6	9262	महिला आरक्षित
	जयपुर	38	हैरिटेज	313	34	6	9296	सामान्य
	जयपुर	39	हैरिटेज	377	46	9	7394	महिला आरक्षित
	जयपुर	40	हैरिटेज	380 ए	42	9	7419	सामान्य
	जयपुर	41	हैरिटेज	386	43	9	7453	सामान्य
	जयपुर	42	हैरिटेज	389	45	9	7479	सामान्य
	जयपुर	43	हैरिटेज	391	53	9	7500	सामान्य
	जयपुर	44	हैरिटेज	392	54	9	7502	महिला आरक्षित
	जयपुर	45	हैरिटेज	397	48	9	7540	सामान्य
	जयपुर	46	हैरिटेज	400	48	9	7549	सामान्य
	जयपुर	47	हैरिटेज	339 ए	40	8	9402	सामान्य
	जयपुर	48	हैरिटेज	425	39	8	27820	सामान्य
	जयपुर	49	हैरिटेज	428	44	8	27825	सामान्य
	जयपुर	50	हैरिटेज	429	41	8	27826	महिला आरक्षित
हवामहल	जयपुर	51	हैरिटेज	29	28	1	4681	सामान्य
	जयपुर	52	हैरिटेज	173	25	4	4172	महिला आरक्षित
	जयपुर	53	हैरिटेज	179	24	4	4239	सामान्य
	जयपुर	54	हैरिटेज	310	7	6	9274	महिला आरक्षित
	जयपुर	55	हैरिटेज	2 ए	10	1	10882	सामान्य
	जयपुर	56	हैरिटेज	2 बी	10	1	10899	महिला आरक्षित
	जयपुर	57	हैरिटेज	10 ए	9	1	10956	महिला आरक्षित
	जयपुर	58	हैरिटेज	11	20	1	4448	सामान्य
	जयपुर	59	हैरिटेज	11 ए	20	1	10968	सामान्य
	जयपुर	60	हैरिटेज	12 ए	9	1	10978	महिला आरक्षित
	जयपुर	61	हैरिटेज	18 ए	22	1	27281	सामान्य
	जयपुर	62	हैरिटेज	27	28	1	4658	सामान्य
	जयपुर	63	हैरिटेज	219 ए	18	5	27273	महिला आरक्षित
झोटवाड़ा	झोटवाड़ा	64	ग्रेटर	373	58	9	27259	सामान्य
	झोटवाड़ा	65	ग्रेटर	733 बी	58	9	7657	सामान्य
	जयपुर	66	ग्रेटर	736	49	9	7672	सामान्य
किशनपोल	जयपुर	67	हैरिटेज	44	60	2	3401	सामान्य
	जयपुर	68	हैरिटेज	51	60	2	3485	महिला आरक्षित
	जयपुर	69	हैरिटेज	60	65	2	3565	महिला आरक्षित
	जयपुर	70	हैरिटेज	92	74	3	8707	महिला आरक्षित
	जयपुर	71	हैरिटेज	107	74	3	8831	सामान्य
	जयपुर	72	हैरिटेज	108	75	3	8832	सामान्य
	जयपुर	73	हैरिटेज	114	73	3	8839	सामान्य
	जयपुर	74	हैरिटेज	124	72	3	8848	सामान्य
	जयपुर	75	हैरिटेज	132	72	3	8923	सामान्य
	जयपुर	76	हैरिटेज	133	72	3	8931	सामान्य
	जयपुर	77	हैरिटेज	106	74	3	8829	महिला आरक्षित
	जयपुर	78	हैरिटेज	150	68	4	4032	महिला आरक्षित
	जयपुर	79	हैरिटेज	163	59	4	4134	सामान्य
	जयपुर	80	हैरिटेज	164	59	4	4129	सामान्य

किशनपोल	जयपुर	81	हैरिटेज	189	58	4	4315	सामान्य
	जयपुर	82	हैरिटेज	192	78	4	4336	महिला आरक्षित
	जयपुर	83	हैरिटेज	197	59	5	6536	महिला आरक्षित
	जयपुर	84	हैरिटेज	198	59	5	6547	सामान्य
	जयपुर	85	हैरिटेज	201	24	5	6561	सामान्य
	जयपुर	86	हैरिटेज	205	59	5	27771	महिला आरक्षित
	जयपुर	87	हैरिटेज	206	59	5	27772	महिला आरक्षित
	जयपुर	88	हैरिटेज	211	57	5	26814	सामान्य
	जयपुर	89	हैरिटेज	212	59	5	26815	सामान्य
	जयपुर	90	हैरिटेज	232	56	5	26840	सामान्य
	जयपुर	91	हैरिटेज	193	58	5	26801	सामान्य
	जयपुर	92	हैरिटेज	200	58	5	6556	महिला आरक्षित
	जयपुर	93	हैरिटेज	234	55	5	16352	महिला आरक्षित
	जयपुर	94	हैरिटेज	243	17	5	16360	महिला आरक्षित
	जयपुर	95	हैरिटेज	444	67	7	7074	सामान्य
	जयपुर	96	हैरिटेज	447	67	7	7085	महिला आरक्षित
मालवीय नगर	जयपुर	97	ग्रेटर	528	149	11	9022	सामान्य
	सांगानेर	98	ग्रेटर	401	145	11	7225	सामान्य
	सांगानेर	99	ग्रेटर	406	141	11	7276	महिला आरक्षित
	सांगानेर	100	ग्रेटर	408	141	11	7285	सामान्य
	सांगानेर	101	ग्रेटर	413 ए	145	11	7311	सामान्य
	जयपुर	102	ग्रेटर	531	138	11	9033	सामान्य
	जयपुर	103	ग्रेटर	532	138	11	9043	सामान्य
	जयपुर	104	ग्रेटर	525	149	11	9013	महिला आरक्षित
	सांगानेर	105	ग्रेटर	542	132	12	27852	सामान्य
	सांगानेर	106	ग्रेटर	547	131	12	27857	सामान्य
	सांगानेर	107	ग्रेटर	550 ए	127	12	11307	सामान्य
	सांगानेर	108	ग्रेटर	552	127	12	27859	सामान्य
	सांगानेर	109	ग्रेटर	561 ए	126	12	27238	सामान्य
	जयपुर	110	ग्रेटर	568	137	12	27869	सामान्य
	जयपुर	111	ग्रेटर	568 ए	137	12	11355	महिला आरक्षित
	जयपुर	112	ग्रेटर	580	136	12	27248	सामान्य
सांगानेर	सांगानेर	113	ग्रेटर	578	79	12	27246	सामान्य
	सांगानेर	114	ग्रेटर	582 ए	78	12	27251	सामान्य
	सांगानेर	115	ग्रेटर	555	103	13	27871	महिला आरक्षित
	सांगानेर	116	ग्रेटर	583 बी	68	13	7247	सामान्य
	सांगानेर	117	ग्रेटर	583 ई	83	13	7260	सामान्य
	सांगानेर	118	ग्रेटर	585	69	13	7317	सामान्य
	सांगानेर	119	ग्रेटर	586 ए	72	13	7324	महिला आरक्षित
	सांगानेर	120	ग्रेटर	588 ए	85	13	7362	सामान्य
	सांगानेर	121	ग्रेटर	588 सी	71, 72	13	7683	महिला आरक्षित
	सांगानेर	122	ग्रेटर	588 डी	84	13	7686	सामान्य
	सांगानेर	123	ग्रेटर	589	81	13	7701	महिला आरक्षित
	सांगानेर	124	ग्रेटर	589 ए	80	13	7705	सामान्य
	सांगानेर	125	ग्रेटर	591 ए	80	13	7726	सामान्य
	सांगानेर	126	ग्रेटर	594	86	13	7760	सामान्य
	सांगानेर	127	ग्रेटर	595	86	13	7774	महिला आरक्षित
	सांगानेर	128	ग्रेटर	596	87	13	7782	सामान्य
	सांगानेर	129	ग्रेटर	652	87	13	7808	सामान्य
	सांगानेर	130	ग्रेटर	653	102	13	7819	सामान्य
	सांगानेर	131	ग्रेटर	658	95	13	7875	सामान्य
	सांगानेर	132	ग्रेटर	664	97	13	7912	सामान्य
	सांगानेर	133	ग्रेटर	665 बी	92	13	7920	सामान्य
	सांगानेर	134	ग्रेटर	670 ए	65	13	7969	सामान्य
	सांगानेर	135	ग्रेटर	673 ए	91	13	8038	महिला आरक्षित
विद्याधर नगर	जयपुर	136	ग्रेटर	277	22	6	9090	सामान्य
	जयपुर	137	ग्रेटर	306	27	6	9209	महिला आरक्षित
	जयपुर	138	ग्रेटर	307	24	6	9219	सामान्य
	जयपुर	139	ग्रेटर	355	33	8	27801	सामान्य
	जयपुर	140	ग्रेटर	289 ए	10	7	27042	सामान्य
	जयपुर	141	ग्रेटर	290	17	7	6542	महिला आरक्षित

	जयपुर	142	ग्रेटर	291	15	7	6551	महिला आरक्षित
	जयपुर	143	ग्रेटर	291 ए	15	7	6554	महिला आरक्षित
	जयपुर	144	ग्रेटर	292	15	7	6557	सामान्य
	जयपुर	145	ग्रेटर	294	18	7	27775	सामान्य
	जयपुर	146	ग्रेटर	296 ए	15	7	6646	सामान्य
	जयपुर	147	ग्रेटर	299	20	7	6654	सामान्य
	जयपुर	148	ग्रेटर	301	25	7	6663	सामान्य
	जयपुर	149	ग्रेटर	340	38	8	27781	सामान्य
विद्याधर नगर	जयपुर	150	ग्रेटर	341	38	8	27783	महिला आरक्षित
	जयपुर	151	ग्रेटर	345	31	8	27788	सामान्य
	जयपुर	152	ग्रेटर	349	19	8	27793	सामान्य
	जयपुर	153	ग्रेटर	352	32	8	27798	सामान्य
	जयपुर	154	ग्रेटर	353	29	8	27799	सामान्य
	जयपुर	155	ग्रेटर	360 ए	39	8	27263	महिला आरक्षित
	जयपुर	156	ग्रेटर	361	41	8	27807	महिला आरक्षित
	जयपुर	157	ग्रेटर	728	13	8	27844	महिला आरक्षित
	जयपुर	158	ग्रेटर	728 ए	12	8	27267	महिला आरक्षित
	रामपुरा डाबड़ी	159	ग्रेटर	718	01	6	9318	सामान्य

1. **आवेदन पत्र से सम्बन्धित सामान्य निर्देश :–**

   i. आवेदन पत्र दिनाक 23.09.2025 से 15.10.2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के कमरा नम्बर 05 से प्राप्त किए जा सकेंगे।

   ii. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् दिनांक 01.10.2025 से 31.10..2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के कमरा नम्बर 06 में जमा करवाये जा सकेंगे।

   iii. कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त किया गया आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) छायाचित्र सहित ही स्वीकार किया जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम यथा ई–मित्र, टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

   iv. आवेदनकर्ता द्वारा अपना छाया चित्र आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर चस्पा कर तथा चार छाया चित्र पृथक से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   v. आवेदन पत्र का मूल्य 100/–रूपये निर्धारित है।

   vi. आवेदन पत्र कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से निर्धारित शुल्क का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर ही प्राप्त किये जा सकेंगे।

2. **उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु अर्हताएँ :–**

   i. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की जानी है अर्थात् आवेदक का उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।

   ii. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के सम्बन्ध में आवेदक का उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जावेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

   iii. आवेदक द्वारा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

   iv. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहियें अर्थात उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें। आवेदक द्वारा आयु के सम्बन्ध में सेकेण्डरी परीक्षा की अंक तालिका, सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

   v. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। यदि उचित मूल्य दुकानो के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना–पत्रो को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ यह शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक

समितियाँ/समूह निकाय होने पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

vi. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्ड़ार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होंगे। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्ड़ों को पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में आवेदक को दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय यदि आवेदक अन्नपूर्णा भण्ड़ार के मापदण्ड़ों को पूर्ण नहीं करते है तो उन्हें छः माह में मापदण्ड़ पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मापदण्ड़ पूर्णता अवधि विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह तक बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड़ पूर्ण नहीं किये जाते है, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

vii. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50/— रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।

viii. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सन्तान का जन्म होता है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही सन्तान है तथा पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान जन्म लेती है तो सन्तान की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से जन्म लेने वाली सन्तानों को एक ही इकाई समझा जावें।

ix. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दुकान का नक्शा साइट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे—पीछे व दायें—बायें स्थित भवनों/स्थानो/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जावेगा। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। उचित मूल्य दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित होनी चाहिये ताकि उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर आसानी से पहुँच सके। प्रस्तावित उचित मूल्य दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये। आवेदक को दुकान आवंटन के बाद जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड़ पर स्थित होना चाहिये तथा उस स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10x20 अर्थात् 200 वर्गफीट होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक है। आवेदक द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक है। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होगें।

x. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 1,00,000/—रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाण पत्र मूल ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।

xi. महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/—रूपये होना आवश्यक होगा।

xii. समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंशपूँजी का विवरण, कार्यशील पूँजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष एवं चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेटमेन्ट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति के वित्तीय हैसियत 1,00,000/— रूपये है और समिति की विगत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं है।

xiii. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगाः—

(क) आवेदक को पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं किया गया है।

(ख) आवेदक के स्वयं के द्वारा ही उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जावेगा।

(ग) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता—पिता, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं है।

(घ) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ड) आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है. चाल—चलन अच्छा है तथा आवेदक को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(च) आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं है।

xiv. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवंटन रदद करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

xv. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने एवं नहीं भरने का निर्णय अन्तिम होगा।

xvi. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदक को कार्यालय में जमा करवाने होगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।

xvii. दिव्यांगजन को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र/समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, शहीद की वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा एवं परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र तथा शिक्षित बेरोजगार को जिला रोजगार अधिकारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।

xviii. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो राजपत्रित आधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

xix. आवेदक/संस्था के पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सम्बन्ध में) को उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) होने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

3. **चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–**

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाकर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार के समय आवेदक के चयन में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :–

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :–

i. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेंम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
ii. महिला स्वयं सहायता समूह जो कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
iii. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोटः– आवेदक/समितियाँ/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेषः–1. यदि विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात् क्रम संख्या 1,2 व 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो अथवा दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

2. महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के सम्बन्ध में निम्न आधार होंगे :–
(क) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
(ख) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
(ग) समूह के सदस्य तीन वर्ष से आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हो।

(ख) द्वित्तीय वरीयता(व्यक्तिगत) के अन्तर्गत प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :–

i. सामान्य श्रेणी

(क) दिव्यांग (बेरोजगार)
(ख) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
(ग) अन्य पात्र (बेरोजगार)

ii. महिला आरक्षित
(क) दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
(ख) शहीद की विधवा वीरांगना (बेरोजगार)
(ग) विधवा (बेरोजगार)
(घ) परित्यक्ता (बेरोजगार)
(ङ) भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
(च) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर रसद
जयपुर

क्रमांकः–रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2025/ 665 दिनांकः– 16.9.25

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित हैः–
1. विशिष्ठ सहायक मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सांसद महोदय जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण।
3. निजी सचिव, समस्त विधायकगण जिला जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
6. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
7. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त ज़िला जयपुर।
9. उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in अपलोड करावें।
10. सहायक निदेशक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
11. संस्थापन प्रभारी विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर रसद
जयपुर